# अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

# देहरादून, उत्तराखण्ड

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित (100 प्रतिशत राज्य पोषित) छात्रवृत्ति से संबधित आवेदन–पत्र के प्रारूप, पात्रता, आवेदन हेतु प्रेषित संलग्नको एवं छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित दरों का विवरण**

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट आश्रम पद्धति विद्यालय, देहरादून

**परिशिष्ट –ख**

## अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/स्वयं द्वारा दिया गया घोषणा पत्र का प्रारूप

मै.......................................................(विद्यार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री ........................... .......................................जो ............................................................................................................. ........................................................................................................का स्थाई/मूल निवासी है (ग्राम, तहसील,ब्लाक, जिला और राज्य का उल्लेख करें) यह घोषणा करता/करती हूॅ कि मै (मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/बौद्ध/पारसी/जैन)....................... ................समुदाय से संबधित हूॅ।

पूरा नाम........................................

पता...........................................................

.............................................................................

.............................................................................

**स्थान–**

**दिनांक–**

## वर्ष 2015–16 के लिए अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक (100 % राज्य पोषित) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय) के अन्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जो उत्तराखण्ड राज्य में कक्षा 1 से 10 वीं स्तर के किसी शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय/संस्थान/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, द्वारा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत् हैं। इस संबंध में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र कक्षा 01 से 10 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से दिनांक 31.01.2016 तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोर्टल http://minorityscholarship.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक संलग्नको के साथ अपने विद्यालय/संस्थान/मदरसे से सत्यापित करा कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को दिनांक **15.03.2016** तक प्रेषित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र सीधे शासन/निदेशालय को प्रेषित किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक/अभिभावक/संस्थाध्यक्ष की होगी।

**पात्रता सम्बन्धी मानदण्डः–**

- विद्यार्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- यह छात्रवृत्ति केवल मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म के अनुयायिओं को देय है।
- विद्यार्थियों के अभिभावक की आय गरीबी रेखा के दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा उर्त्तीण करना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा सत्र में यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति पा रहा है, तो वह इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।
- केवल राजकीय, परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/मदरसों के विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति पाने हेतु अर्ह होगा।
- उपरोक्त योग्यता रखने वाले विद्यार्थी निर्धारित परिशिष्ट 'क' पर आवेदन करते हुए समयान्तर्गत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के माध्यम से पूर्ण करके जिला अल्पसंख्यक/जिला समाज कल्याण कार्यालय में प्रेषित करेंगे।
- राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों से आवेदन पत्र भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की भांति स्वघोषित आय प्रमाण पत्र, जो उनके अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित एवं संबधित शैक्षिक संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, उसकी छायाप्रति संलग्न की जायेगी। (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है)।
- यदि किसी छात्र/छात्राओं का स्वघोषित आय प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो संबधित शैक्षिक संस्था के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

- इस योजना के अर्न्तगत छात्र/छात्राओं का स्वयं का खाता या उनके अभिभावक का खाता CBS Branch में होना आवश्यक है जो कि आधार नंबर से यथासम्भव सीडेड हो। अतः खाता संख्या एवं IFSC कोड गलत होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

- **छात्रवृत्ति की दर**
  अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा–1 से 10 तक के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निम्नानुसार छात्रवृत्ति दरें निर्धारित की गयी हैं।

| **वर्ग** | **छात्रवृत्ति के मानक** | | | **अवधि (अधिकतम)** |
|---|---|---|---|---|
| अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति | कक्षा | दर प्रतिमाह | माता–पिता की आय सीमा | |
| | 1–5 | रु0 50/– | गरीबी की रेखा के दुगनी आय तक वार्षिक आय | 12 माह |
| | 6–8 | रु0 80/– | | 12 माह |
| | 9–10 | रु0 120/– | | 12 माह |

**अभ्यर्थियों हेतु विशेष नोटः–**

1. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी जायेगी, तो इसके लिए अभ्यर्थी/संस्थाध्यक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें। त्रुटि सुधार हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही इस संबंध में अभ्यर्थी/संस्थान से कोई पत्राचार किया जायेगा।
2. यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासन का अथवा छात्रवृत्ति की कोई अन्य अर्हता व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रदद् किया जा सकता है।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रदद् कर दी जायेगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि का राज्य सरकार/प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जायेगा।
4. यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन हेतु किसी प्रकार के शुल्क की मांग की जाती है तो उसके विरूद्ध प्रकरण संज्ञान में आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।